ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 73-76**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

संसदीय राजनीति में महिलाओं की भूमिकाः भारत बनाम विश्व के अन्य लोकतंत्र

नीलिमा सिंह, 2. डॉ0 सीमा शर्मा

शोध अध्येत्री, 2. शोध निर्देशिक – राजनीति विज्ञान, कला विभाग, मंगलायतन विश्वविद्यालय, बेसंबा, अलीगढ़ (उ0प्र0) भारत

Received-17.09.2025, Revised-25.09.2025, Accepted-01.10.2025 **E-mail : nilimasingh3923@gmail.com**

***सारांशः** इस शोधपत्र में भारत तथा विश्व के अन्य लोकतंत्रों में महिलाओं की संसदीय भागीदारी की तुलना एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रारम्भिक खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि लोकतंत्र की सफलता केवल संवैधानिक ढाँचे पर नहीं, बल्कि उसमें समाहित समावेशी भागीदारी पर आधारित होती है, जिसमें महिलाओं की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में महिलाओं की संसदीय भूमिका की ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक यात्रा का आकलन करते हुए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसकी तुलना की जाए, जिससे यह जाना जा सके कि भारत किन बिंदुओं पर पीछे है और किन नीतियों से सुधार संभव है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों (शासकीय रिपोर्ट, चुनाव आँकड़े, वैश्विक संगठनों की रिपोर्टें तथा सामाजिक शोध) के विश्लेषण के माध्यम से तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। भारत में महिलाओं की संसदीय भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है, यद्यपि संवैधानिक प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण तथा २०२३ में पारित महिला आरक्षण विधेयक जैसे प्रयासों से इसमें धीरे–धीरे वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, रवांडा, स्वीडन, फिनलैंड, नेपाल जैसे देशों में महिलाओं की व्यापक उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक जागरूकता और संस्थागत समर्थन से लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि भारत में महिलाओं की संसदीय सहभागिता बढ़ाने के लिए केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण सुविधा, और सामाजिक सोच में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। महिला प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की गुणवत्ता को सशक्त करता है और नीति निर्माण को अधिक उत्तरदायी एवं समावेशी बनाता है।*

***कुंजीभूत शब्द–** संसदीय राजनीति, महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र, पितृसत्ता, वैश्विक तुलना, महिला आरक्षण, नीति निर्माण।*

प्रस्तावना– लोकतंत्र एक ऐसी शासन–व्यवस्था है जो जन–सहभागिता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु जब हम संसदीय लोकतंत्र की संरचना और संचालन का गहनता से विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भागीदारी, विशेषतः भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, अपेक्षित स्तर तक सशक्त नहीं हो पाई है। भारत के संविधान में प्रारम्भ से ही महिलाओं को मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परन्तु व्यवहारिक धरातल पर यह अधिकार समान अवसरों के रूप में तब्दील नहीं हो सके हैं। यह स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं है, अपितु अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता सीमित देखी गई है। भारत की 17वीं लोकसभा (2019) में कुल 543 सदस्यों में मात्र 78 महिलाएं निर्वाचित हुईं, जो कि कुल संख्या का केवल 14.3 प्रतिशत है (भारत निर्वाचन आयोग, 2020)। इसके विपरीत रवांडा जैसे देश में यह प्रतिशत 60 से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं संस्थागत उपायों से समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है (प्दजमत–चंतसपंउमदजंतल न्दपवद, 2024)। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में महिलाओं के संसदीय प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने हेतु 1996 से महिला आरक्षण विधेयक विभिन्न चरणों में प्रस्तुत होता रहा है, जिसे 2023 में अन्ततः संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम न केवल महिलाओं की संसदीय उपस्थिति की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें, अपितु भारत और विश्व के अन्य लोकतंत्रों में उनके सहभागिता के स्वरूप, चुनौतियों एवं सफलता की रणनीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकें। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस प्रकार लोकतंत्र की आत्माकृजनप्रतिनिधित्वकृसचमुच समावेशी बन सकती है।

भारत में महिलाओं की संसदीय भागीदारीः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– भारत में महिलाओं की संसदीय भागीदारी की ऐतिहासिक यात्रा एक समृद्ध, किंतु संघर्षपूर्ण परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करती है। जहाँ एक ओर प्राचीन भारत में महिलाओं को विद्या, विमर्श और नीति–निर्माण में स्थान प्राप्त था, वहीं मध्यकालीन सामाजिक संरचनाओं ने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन से प्रायः पृथक कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह प्रवृत्ति बदली और महिलाओं ने न केवल विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के उच्च मंचों पर भी अपने सशक्त हस्ताक्षर किए।

महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता की नींव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही पड़ी। एनी बेसेन्ट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसी अनेक महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। इन महिलाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सत्याग्रह, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि में भाग लिया और जनता के समक्ष महिला नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट (1928) एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में महिलाओं के मतदान अधिकार की मांग प्रमुखता से उठाई गई, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्त्रियों को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया।

भारत की संविधान सभा (1946–1950), जिसमें 15 महिला सदस्य सम्मिलित थीं, ने महिलाओं को समता, स्वतंत्रता और समान राजनीतिक अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित की। डा. भीमराव आम्बेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया कि स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो। यह विश्व के अनेक देशों की तुलना में अग्रगामी कदम था, जहाँ महिलाओं को मतदान का अधिकार कई दशकों बाद प्राप्त हुआ (जैसे स्विट्ज़रलैंड में 1971 में)।

स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव (1951–52) में ही महिलाओं ने व्यापक स्तर पर मतदान किया और कई महिलाएं लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित हुईं। 1952 की पहली लोकसभा में 499 सदस्यों में 22 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं, जो कि कुल का 4.4b था। यह संख्या यद्यपि प्रतीकात्मक थी, परन्तु लोकतंत्र में महिला भागीदारी की दिशा में यह एक ठोस आरंभ था।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

भारत के संसदीय इतिहास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण नाम हैं:

• **इंदिरा गांधी:** देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री (1966–77, 1980–84) जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत को राजनीतिक पहचान दी।

• **सरोजिनी नायडू:** स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, जिन्होंने महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी की प्रेरणा दी।

• **मीरा कुमार:** भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष (2009–2014), जिन्होंने संसदीय परंपराओं को गरिमा प्रदान की।

• सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी, मायावती जैसे अनेक नेताओं ने राजनीति के विविध स्तरों पर प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया।

परन्तु, यदि हम इस ऐतिहासिक विकास को आँकड़ों की दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह प्रगति मात्र प्रतीकात्मक रही है। 1952 से 2019 तक के आँकड़ों के अनुसार, भारत की लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी औसतन 8% के आसपास रही है। वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं निर्वाचित हुईं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है, परंतु यह भी केवल 14.3% है,: जबकि महिलाएं देश की कुल जनसंख्या का लगभग 49% हैं (भारत निर्वाचन आयोग, 2019)।

राज्यसभा में स्थिति और भी चिंताजनक है। वहाँ महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2022 तक केवल 11.8% रही है। कुछ राज्यों में महिला विधायक संख्या संतोषजनक रही (जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में पंचायती चुनावों में महिलाओं की भागीदारी 50% तक रही), परन्तु विधानसभाओं में यह भागीदारी प्रायः 10–12% के भीतर ही रही है।

• **महिला आरक्षण विधेयक का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:** महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने हेतु वर्ष 1996 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव था कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, परन्तु यह विधेयक बहुस्तरीय राजनीतिक विरोध और समाज के विभिन्न वर्गों में आरक्षण के स्वरूप को लेकर मतभेद के कारण वर्षों तक लंबित रहा। अंततः वर्ष 2023 में भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में इस विधेयक को संसद से पारित करवा लिया। इस अधिनियम के अनुसार,, 2029 के आम चुनाव से महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रभाव में आएगा (भारत सरकार विधि मंत्रालय, 2023)।

इस आरक्षण विधेयक के पारित होने को भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना गया है, किन्तु इसकी आलोचना भी हुई कि इसका कार्यान्वयन 2029 तक स्थगित करना उस तात्कालिकता को नकारता है, जिसकी आज आवश्यकता है।

• **पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भूमिका:** भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इसके परिणामस्वरूप आज लगभग 14 लाख महिलाएं ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं में निर्वाचित पदों पर कार्यरत हैं। कई राज्यों ने इस कोटे को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। इस अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वे न केवल नेतृत्व कर सकती हैं, बल्कि जनहित में निर्णय भी प्रभावी रूप से ले सकती हैं (राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, 2021)।

परन्तु यह भी देखा गया कि कई बार महिलाएं केवल "नाम मात्र" की प्रमुख बनीं और उनके स्थान पर उनके पति या पुरुष परिजन ने निर्णय लिए। तथापि, यह स्थिति धीरे–धीरे बदल रही है और महिलाएं अब आत्मनिर्भरता के साथ नेतृत्व कर रही हैं।

• **समाजशास्त्रीय विश्लेषण:** भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना, स्त्रियों की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी, घरेलू दायित्वों का भार, और राजनीतिक दलों की चयन प्रक्रिया में महिलाओं के प्रति उदासीनता, उनकी संसदीय सहभागिता में बाधा बनती रही है। राजनीतिक दलों ने महिला नेताओं को टिकट देने में प्रायः कोताही बरती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ जीत की संभावना अधिक होती है।

एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल 12% सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 13% सीटों पर। तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसे क्षेत्रीय दलों ने अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं को टिकट दिया (ADR रिपोर्ट, 2019)।

विश्व स्तर पर महिलाओं की संसदीय भागीदारी: तुलनात्मक दृष्टिकोण– विश्व स्तर पर लोकतंत्र की परिभाषा केवल शासन की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गई है, अपितु यह सामाजिक न्याय, समानता, समावेशन और सहभागिता जैसे मूल्यों का भी संवाहक बन चुका है। इस सन्दर्भ में यदि महिलाओं की संसदीय भागीदारी का विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि अलग–अलग देशों ने इस दिशा में भिन्न–भिन्न रणनीतियाँ अपनाई हैं। कुछ देशों ने संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था को अपनाया, तो कुछ ने सामाजिक चेतना, राजनीतिक इच्छा शक्ति और संस्थागत सुधारों के माध्यम से महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया। भारत की तुलना में कई राष्ट्रों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक सम्यक् तुलनात्मक अध्ययन करें।

• **वैश्विक परिदृश्य का संक्षिप्त परिचय–** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित चौथा विश्व महिला सम्मेलन में "महिला सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व" को वैश्विक लक्ष्य घोषित किया था। इसके उपरान्त अनेक देशों ने अपनी संसदों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु ठोस उपाय किए। Inter&Parliamentary Union (IPU) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में संसदीय स्तर पर महिलाओं की औसत भागीदारी 26.9% है।

हालाँकि यह औसत अभी भी समानता के लक्ष्य से दूर है, परन्तु कुछ देशों ने इस दिशा में प्रेरणादायक प्रगति की है। नीचे दिए गए आँकड़ों और विश्लेषण से स्पष्ट होगा कि किन देशों ने किस नीति और रणनीति के आधार पर यह मुकाम प्राप्त किया है।

रवांडा, एक अफ्रीकी राष्ट्र, जिसने 1994 के नरसंहार के पश्चात अपने लोकतंत्र का पुनर्निर्माण किया, महिला प्रतिनिधित्व में आज विश्व में अग्रणी है। वर्ष 2003 में लागू हुए नये संविधान ने महिलाओं के लिए संसद में कम से कम 30% सीटें आरक्षित कीं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों और स्थानीय निकायों में भी महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई। इसके परिणामस्वरूप, आज रवांडा की संसद में महिलाएं बहुसंख्यक हैं।

रवांडा का मॉडल यह सिद्ध करता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी उपाय और सामाजिक चेतना एकसाथ कार्य करें तो किसी भी समाज में समानता की स्थापना की जा सकती है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

नॉर्डिक राष्ट्रों की भूमिका– स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देशों में महिलाओं की संसदीय भागीदारी अत्यंत उच्च है। इन देशों में कोटा प्रणाली संवैधानिक नहीं है, परन्तु राजनैतिक दलों द्वारा स्वैच्छिक रूप से महिला उम्मीदवारों को पर्याप्त टिकट दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, महिला साक्षरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कार्यस्थल पर समान अवसर, मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल केंद्र जैसी नीतियाँ महिलाओं के राजनैतिक जीवन में प्रवेश को सरल बनाती हैं।

स्वीडन में *Social Democratic Party* और *Green Party* जैसे दलों ने आंतरिक रूप से 50:50 का लैंगिक अनुपात निर्धारित किया है। इसके फलस्वरूप संसद में महिला प्रतिनिधित्व निरन्तर 40 से ऊपर रहा है।

दक्षिण एशिया में स्थितिः भारत बनाम अन्य

देश	महिला सांसदों का प्रतिशत (2024)	आरक्षण व्यवस्था
भारत	14-3%	प्रस्तावित (33% विधेयक पारित)
पाकिस्तान	20%	60 आरक्षित सीटें (342 में से)
बांग्लादेश	20-9%	50 आरक्षित सीटें (300 में से)
नेपाल	32-7%	संविधान में 33% कोटा

भारत की तुलना में नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों में महिला सहभागिता अधिक है। नेपाल का नया संविधान (2015) प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 33þ आरक्षण अनिवार्य करता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने संसद में महिलाओं के लिए निश्चित सीटें आरक्षित की हैं, भले ही ये निर्वाचित नहीं होकर नामित होती हों।

भारत ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर 33% आरक्षण की घोषणा की, परंतु इसका कार्यान्वयन 2029 से किया जाएगा, जो अपेक्षाओं के विपरीत है।

संरचनात्मक एवं सामाजिक अवरोध– संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बाधित करने वाले अनेक संरचनात्मक और सामाजिक अवरोध हैं, जो केवल बाह्य नहीं, बल्कि समाज की अंतःसंरचना में गहराई तक समाहित हैं। यद्यपि भारतीय संविधान ने स्त्रियों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं, तथापि वास्तविकता यह है कि राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति अभी भी सीमित और बाधित है। यह प्रतिबंध न केवल विधायी अवसरों की न्यूनता के कारण है, बल्कि सामाजिक सोच, पारिवारिक संरचना, आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धता तथा राजनीतिक दलों की अनिच्छा जैसी जटिल समस्याओं के कारण भी है। इस खंड में इन्हीं अवरोधों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

१. **पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाः** भारतीय समाज में आज भी पितृसत्ता व्याप्त है, जिसमें पुरुष को निर्णयकर्ता, पालक, संरक्षक और बाह्य गतिविधियों का उत्तरदायी माना जाता है, जबकि स्त्री को घरेलू कार्यों और पारिवारिक सीमाओं तक सीमित कर दिया गया है। इस मानसिकता के कारण महिलाओं को नेतृत्व क्षमता से वंचित समझा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में यह धारणा प्रबल है कि महिलाएँ निर्णय लेने, भीड़ को संबोधित करने और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इससे उन्हें चुनावों में टिकट देने में हिचकिचाहट होती है। मनीषा मुखोपाध्याय (२०१४) के अनुसार, यह सामाजिक सोच महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को एक सीमित प्रतीकात्मकता तक ही सीमित कर देती है।

२. **राजनीतिक दलों की अनिच्छाः** भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। महिला उम्मीदवारों को नामांकन के समय प्राथमिकता नहीं दी जाती। यदि दी भी जाती है तो उन्हें प्रायः उन निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जाता है जहाँ पार्टी की जीत की संभावना कम होती है। लोकसभा चुनाव २०१६ में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने कुल ४३६ प्रत्याशियों में से केवल ५३ महिलाओं को टिकट दिया (लगभग १३ प्रतिशत), जबकि कांग्रेस पार्टी ने १२ प्रतिशत महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। इसके विपरीत ओडिशा की बीजू जनता दल ने ३३ प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं, जो एक प्रेरणादायी उदाहरण है (लोकतांत्रिक सुधार संगठन, २०१६)।

३. **आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धताः** राजनीति में भागीदारी के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रचार, संगठन, कार्यालय, कार्यकर्ता, प्रचार सामग्री, परिवहन आदि में लाखों रुपये खर्च होते हैं। अधिकांश भारतीय महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२१) के अनुसार, केवल २६ प्रतिशत शहरी और १८ प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ ही अपने आर्थिक निर्णय स्वयं लेती हैं। ऐसे में चुनाव लड़ना उनके लिए एक अत्यंत कठिन कार्य बन जाता है। यह आर्थिक निर्भरता उन्हें राजनैतिक क्षेत्र से दूर रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

४. **नेतृत्व प्रशिक्षण की कमीः** राजनीति में सफल होने के लिए नीति, विधि, लोकप्रशासन, भाषण कला और संवाद क्षमता का ज्ञान आवश्यक होता है। अधिकतर महिलाएँ इन विषयों में औपचारिक प्रशिक्षण से वंचित रहती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की २०२० की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की ८० प्रतिशत महिला सरपंचों को कार्यकाल के आरंभिक दो वर्षों तक किसी प्रकार का प्रशासनिक प्रशिक्षण नहीं मिला। यह स्थिति राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में भी देखी जाती है, जहाँ महिला नेताओं के लिए कोई समर्पित प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं है।

५. **घरेलू उत्तरदायित्वः** भारतीय स्त्रियाँ आज भी घरेलू कार्यों, बच्चों के पालन–पोषण, वृद्धजनों की देखभाल और सामाजिक आयोजनों की व्यवस्था की प्रमुख जिम्मेदार हैं। ओ.ई.सी.डी. की २०२३ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाएँ प्रति दिन औसतन ५.७ घंटे घरेलू कार्य करती हैं, जबकि पुरुष मात्र ५२ मिनट। यह असमान कार्य वितरण महिलाओं को राजनीतिक कार्यक्रमों, बैठकों और सभाओं में भाग लेने से रोकता है।

६. **राजनीति में हिंसा और भय का वातावरणः** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, भाषाई, और डिजिटल रूप में भी होती है। चुनावी राजनीति में सक्रिय महिला नेताओं को अनेक बार अभद्र भाषा, झूठे आरोप, सार्वजनिक अपमान और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की २०२२ की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया की लगभग ६३ प्रतिशत महिला नेताओं ने अपने विरुद्ध हिंसात्मक या अपमानजनक व्यवहार की शिकायत की है। भारत में महिला सांसदों को भी संसद में अशोभनीय टिप्पणियों और उपहास का सामना करना पड़ता है।

७. **प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और परोक्ष नियंत्रणः** पंचायती राज में महिला आरक्षण लागू होने के बाद अनेक महिलाएँ सरपंच, पंचायत सदस्य और पार्षद बनीं, परन्तु अनेक स्थानों पर उनके पति, भाई या अन्य पुरुष परिजन ही वास्तविक निर्णय लेते हैं। यह

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

परोक्ष नियंत्रण प्रॉक्सी राजनीति कहलाता है। महिला एवं शासन अध्ययन केंद्र (२०२०) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में ३८ प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने माना कि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेतीं, बल्कि उनके निर्णय उनके परिजन लेते हैं।

५. नारी सशक्तिकरण एवं लोकतांत्रिक गुणवत्ता में संबंधः लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं, अपितु एक जीवंत सामाजिक दर्शन है जो समानता, स्वतंत्रता, समावेशिता तथा न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होता है। लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की कितनी प्रभावी और समान भागीदारी है। नारी सशक्तिकरण लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि जब महिलाएँ न केवल प्रतिनिधि बनती हैं, अपितु निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय होती हैं, तब लोकतंत्र में केवल प्रतिनिधित्व की गिनती नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता भी सुदृढ़ होती है।

राजनीतिक सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का सर्वोच्च स्तर है क्योंकि यह स्त्रियों को न केवल निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी पुनः परिभाषित करता है। जब महिलाएँ विधायिका, कार्यपालिका और पंचायती संस्थाओं में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, तो समाज में उनकी पहचान केवल गृहिणी, माँ या पत्नी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह 'नीतिनिर्माता' के रूप में उभरती हैं।नारी सशक्तिकरण को लोकतांत्रिक गुणवत्ता से जोड़ते हुए, भारत सरकार के नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य–५ के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि बिना महिला सशक्तिकरण के सतत और समावेशी विकास की कल्पना अधूरी है।

अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं की संसदीय, राजनैतिक एवं नीतिगत स्तर पर भागीदारी को केवल "आरक्षण" तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके लिए नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे वे लोकतंत्र की पूर्ण भागीदार बन सकें।

निष्कर्ष एवं सुझाव– संसदीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका किसी भी लोकतंत्र की समावेशिता, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रगतिशीलता का प्रत्यक्ष सूचक है। भारत जैसे विशाल, विविध और बहुलतावादी राष्ट्र में लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक उसकी विधायी संस्थाओं में महिलाओं की संख्या, भागीदारी और प्रभाव वास्तविक रूप में समान न हो जाए। इस शोध में यह स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि भारत ने संविधान में समानता, मताधिकार और सहभागिता जैसे अधिकारों की गारंटी दी है, तथापि वास्तविकता में महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति अब भी औपचारिक, सीमित और अनेक बाधाओं से ग्रस्त है। ७५ वर्षों के लोकतांत्रिक अनुभव के पश्चात भी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी १५ प्रतिशत से कम है, जो लोकतांत्रिक समता के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न लगाता है। भारत के तुलनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कई छोटे देश जैसे रवांडा, नेपाल, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड आदि, जिन्होंने या तो कोटा प्रणाली को लागू किया या राजनीतिक दलों ने स्वैच्छिक रूप से लैंगिक संतुलन सुनिश्चित किया, वे इस क्षेत्र में भारत से कहीं अधिक आगे हैं। इन देशों में महिलाएँ न केवल संसद में हैं, बल्कि वे शासन, योजना, न्याय और विकास की दिशा तय करने वाले निर्णयों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। भारत में महिला भागीदारी को बाधित करने वाले जो संरचनात्मक एवं सामाजिक अवरोध सामने आए, वे अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय हैंकृपितृसत्तात्मक मानसिकता, राजनीतिक दलों की अनिच्छा, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण की कमी, तथा राजनीति में लिंग आधारित हिंसा जैसी समस्याएँ आज भी व्यापक हैं। परंतु ये बाधाएँ अटल नहीं हैं। उन्हें समुचित नीति, सामाजिक चेतना और राजनीतिक इच्छाशक्ति के द्वारा दूर किया जा सकता है।

सुझाव– सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को कम से कम ३३ प्रतिशत टिकट महिलाओं को देना अनिवार्य किया जाए, ताकि महिला उम्मीदवारों की संख्या स्वतः बढ़े। भारत सरकार द्वारा २०२३ में पारित इस विधेयक को प्रभावी रूप से २०२६ के स्थान पर शीघ्र लागू किया जाना चाहिए, ताकि इसका लाभ समय पर मिल सके। प्रत्येक राज्य और ज़िले में महिला नेतृत्व विकास केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ महिलाओं को नीति, कानून, चुनाव संचालन, भाषण–कला तथा प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण मिले। महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु सरकारी अनुदान, प्रचार सामग्री, और तकनीकी सहायता दी जाए ताकि आर्थिक असमानता की बाधा दूर हो। लिंग आधारित राजनीतिक हिंसा, ट्रोलिंग, धमकी और अपमान की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हेतु विशेष कानून एवं महिला आयोग को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएँ। राजनीति में सक्रिय महिलाओं को मीडिया में सशक्त, सक्षम और विचारशील नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे समाज में उनकी भूमिका का सम्मान हो। स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक महिला प्रतिनिधियों के बीच एक सहयोग मंच बने, जिससे अनुभव, रणनीति और संघर्ष साझा किए जा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत निर्वाचन आयोग (२०१६), सत्रहवीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों का सांख्यिकीय विवरण, भारत सरकार।
2. विधि और न्याय मंत्रालय (२०२३), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, २०२३, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. इंटर–पार्लियामेंटरी यूनियन (आई.पी.यू.) (२०२४), विश्व संसदों में महिलाओं की भागीदारीः वैश्विक रिपोर्ट, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
4. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (२०२२), राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक विश्लेषण रिपोर्ट, न्यूयॉर्क।
5. राष्ट्रीय महिला आयोग (२०२०), ग्रामीण भारत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की स्थिति पर अध्ययन, भारत सरकार।
6. राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान (२०२१), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन, हैदराबाद।
7. लोकतांत्रिक सुधार संगठन (ए.डी.आर.) (२०१६), लोकसभा चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा महिला प्रत्याशियों को दिए गए टिकटों का तुलनात्मक विश्लेषण, नई दिल्ली।
8. विश्व बैंक (२०२०), राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता पर अध्ययन, वॉशिंगटन डी.सी.
9. महिला एवं शासन अध्ययन केंद्र (२०२०), प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व : भारत की पंचायतों में महिलाओं की वास्तविक भूमिका, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
10. ओ.ई.सी.डी. (२०२३), भारतीय समाज में लिंग आधारित कार्य विभाजन की स्थिति पर वैश्विक तुलनात्मक रिपोर्ट, पेरिस।

*****